केबिन हेतु

(2)

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित के बिन को दिनांक 01.09.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1.	केबिन की श्रेणी	:	
	(जो लागू हो, सिर्फ एक पर टिक √ कर दे)	(1) (2) (3)	स्टेशनरी सेलर हेतु टाईपिस्ट हेतु बैण्ड / गाउन / कोट सेलर हेत्
		(4)	लाई चना एवं पॉपकॉर्न हेतु
2.	प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम (जिसके नाम आवेदन किया जाना	: हੈ)	
3.	पिता / पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम	:	<u> </u>
4.	लिंग	:	
5.	उम्र	:	
6.	पता वर्तमान पता — स्थायी पता —	:	
7.	मोबाईल नम्बर	:	<u> </u>
8. 9.	राष्ट्रीयता पहचान पत्र का विवरण	:	
10.	यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो	:	
	डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम		
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या		
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि		
दिनांक संलग्न			आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नोट :			व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 16.08.2022 समय दोपहर 2 बजे तक है।

दुकान हेतु

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **दुकान** को दिनांक 01.09.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1.	दुकान की श्रेणी	:	
	(जो लागू हो, सिर्फ एक पर टिक √ कर दे) (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7	(2) (中 (3) (中 (4) (中 (5) (中 (7) (中 (7) (中 (7) (中	वल एजेन्ट हेतु जोटोग्राफी हेतु लेक बूथ हेतु जस जूस एण्ड फेस कट फूट्स हेतु न्टरनेट कैफे हेतु डिसिन शॉप हेतु जेक्क्शन सेन्टर ऑफ सैम्पल्स जॉर पैथोलॉजिकल टेस्ट हेतु
2.	प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम: (जिसके नाम आवेदन किया जान	ग है)	
3.	पिता / पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम	:	
4.	लिंग	:	
5.	उम्र	:	
6.	पता वर्तमान पता — स्थायी पता —	:	
7.	मोबाईल नम्बर	:	
8. 9.	राष्ट्रीयता पहचान पत्र का विवरण	:	
10.	यदि आवेदन पत्र वेब साइट से : डाउन लोड किया गया है तो डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि	:	

दिनांक : संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

- नोट : (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
 - (2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 16.08.2022 समय दोपहर 2 बजे तक है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

नीलामी की तिथि एवं समय : दिनांक 18.08.2022 एवं पूर्वाह्न 11:00 बजे

नीलामी का स्थान : एम—ब्लॉक, उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'एम' ब्लाक में स्थिति 09 दुकानों : भू—तल पर 05 दुकानें (01 ट्रैवल ऐजेन्ट, 01 पैथोलॉजिकल टेस्ट हेतु नमूना संग्रह केन्द, 01 मिल्क बूथ (Parag), 01 फ्रेश जूस व फ्रेश कटे फल, 01 फोटोकॉपी शॉप) एवं प्रथम तल पर 4 दुकानें (2 फोटोग्राफर, 1 इण्टरनेट कैफे फॉर ई—मेल / स्कैन्ड मेल / डिजिटल सिग्नेचर, बिना वॉयर्ड कनेक्शन (डॉन्गल के माध्यम से / अन्य किसी वॉयरलेस माध्यम से), 1 मेडिसिन शॉप) एवं 05 केबिनों : भू—तल पर 03 केबिन (01 बैण्ड / गाउन / कोट सेलर, 02 स्टेशनरी सेलर) एवं प्रथम तल पर 02 केबिन (01 लाई चना एवं पॉपकॉर्न सेलर, 01 टाइपिस्ट) को दिनांक 01.09.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त वर्णित दुकानों एवं केबिनों की नीलामी दिनांक 18.08.2022 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर में की जायेगी। दुकानों एवं केबिनों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.08.2022 से 16.08.2022 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 01.08.2022 से 16.08.2022 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों / केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट नम्बर— 6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.08.2022 से 16.08.2022 तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक - 26/07/2022

Sd/-निबन्धक (न्या०) (प्रशासन) इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

Shops in 'M' Block -

SI. No.	Shop No.	Total Area of the Shops (in square feet)	Type of Shop
1	1	174.21	Travel Agent
2	2	184.99	Collection center of samples for pathological tests
3	4	185.82	Milk Booth (Parag)
4	6	182.50	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
5	17	172.00	Photocopy
6	101	174.21	Photographer
7	102	184.99	Photographer
8	106	182.50	Internet Cafe for E-Mail/Scanned Mail/Digital Signature [without wired connection (through dongle/ any other wireless mode)
9	107	179.19	Medicine Shop

Cabins in 'M' Block -

SI. No.	Cabin No.	Total Area of the Cabins (in square feet)	Type of Shop
1	20	57	Band/Gown/Coat Seller
2	21	38	Stationery Seller
3	22	38	Stationery Seller
4	121	38	Lai Chana & Pop Corn
5	124	38	Typist

Terms and Conditions of Auction

- 1. The shops/cabins will be auctioned for grant of License for 07 months (period from 01.09.2022 to 31.03.2023) on 'as is where is' basis.
- 2. For participating in the auction, the bidder shall have to deposit Rs.30,000.00 (Rupees Thirty Thousand only) for Shops and Rs.10,000.00 (Rupees Ten Thousand only) for Cabins in cash as earnest money, which after completion of the auction, shall be returned to unsuccessful bidders as per rules and in case of successful bidder, the earnest money will be adjusted in his license fees.
- 3. For participating in the auction, the interested persons shall have to apply on the prescribed application form of Rs.100.00 (Rupees One Hundred only), which may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 01.08.2022 to 16.08.2022 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. and duly filled application forms may be submitted from 01.08.2022 to 16.08.2022 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. in the Pass Section.

The said Application Form will also be available on the official website of the Allahabad High Court (<u>www.allahabadhighcourt.in</u>) and may be downloaded from there. But, in such condition, the applicant is required to deposit the requisite amount of Rs.100.00 (Rupees One Hundred Only) through the Bank Draft drawn in favour of **Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.**

4. Shops/Cabins, which are to be auctioned, may be inspected by the applicants at 'M' Block of High Court Building on 17.08.2022 during working hours after duly obtaining the pass/permission from Gate No. 6. It will be the duty of the applicants to carry out the complete inspection of the above-mentioned shops/cabins before bidding.

Any information regarding the auction may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 01.08.2022 to 16.08.2022 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M.

5. Minimum Bid Price for the shops and cabins are tabulated below (the shop/cabin is being auctioned for the duration of 07 months i.e. From 01.09.2022 to 31.03.2023) and the person, who offers the highest bid for the concerned shop/cabin, will be allotted that shop/ cabin.

<u>Shops</u>

SI. No.	Shop No.	Type of Shop	Minimum Bid Price for Re-auction of 2022-23 (in Rs. For 7 months)
1	1	Travel Agent	Rs.1,45,833/-(Rupees One Lakh Forty Five Thousand Eight Hundred Thirty Three)
2	2	Collection center of samples for pathological tests	Rs.1,46,500/- (Rupees One Lakh Forty Six Thousand Five Hundred)
3	4	Milk Booth (Parag)	Rs.1,95,417/- (Rupees One Lakh Ninety Five Thousand Four Hundred Seventeen)

4	6	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits	Rs.1,37,083/- (Rupees One Lakh Thirty Seven Thousand Eighty Three)
5	17	Photocopy	Rs.2,62,500/- (Rupees Two Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred)
6	101	Photographer	Rs.1,47,350/- (Rupees One Lakh Forty Seven Thousand Three Hundred Fifty)
7	102	Photographer	Rs.1,34,283/- (Rupees One Lakh Thirty Four Thousand Two Hundred Eighty Three)
8	106		Rs.1,45,834/- (Rupees One Lakh Forty Five Thousand Eight Hundred Thirty Four)
9	107	Medicine Shop	Rs.1,37,084/- (Rupees One Lakh Thirty Seven Thousand Eighty Four)

<u>Cabins</u>

SI. No.	Cabin No.	Type of Cabin	Minimum Bid Price for Re-auction of 2022-23 (in Rs. For 7 months)
1	20	Band/Gown/Coat Seller	Rs.1,10,833/- (Rupees One Lakh Ten Thousand Eight Hundred Thirty Three)
2	21	Stationery Seller	Rs.41,222/- (Rupees Forty One Thousand Two Hundred Twenty Two)
3	22	Stationery Seller	Rs.45,306/- (Rupees Forty Five Thousand Three Hundred Six)
4	121	Lai Chana & Pop Corn	Rs.26,833/- (Rupees Twenty Six Thousand Eight Hundred Thirty Three)
5	124	Typist	Rs.44,333/- (Rupees Forty Four Thousand Three Hundred Thirty Three)

* Minimum Bid Price rounded off.

6. The bidder, whose bid is accepted, will be required to deposit 25 percent amount of the bid money, after adjusting the earnest money, immediately. If 25 percent money is not deposited immediately by the bidder, then the bid shall be deemed cancelled automatically and the earnest money will be forfeited.

In this situation, the Auction Committee shall have the right to offer the shop/cabin to the next highest bidder and such bidder shall have to comply the above conditions. In case the next highest bidder also fails to deposit 25 percent money, the concerned shop / cabin may be auctioned afresh as per rule.

7. The successful bidder will have to deposit the remaining 75 percent amount of bid through Bank Draft drawn in favour of Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow, within 15 working days from the date of auction, else 25 percent deposited amount by the bidder shall be forfeited in favour of the Hon'ble High Court.

- 8. The successful bidder shall have to deposit the 'Indemnity Amount' of Rs.25,000.00 (Rupees Twenty Five Thousand only) for Shop and Rs.10,000.00 (Rupees Ten Thousand only) for Cabin within 15 working days from the date of auction. This amount may be adjusted against the dues, if any, of electricity charges and others at the end of financial year 2022-2023. In case of no dues, the said 'Indemnity Amount' shall be returned to the licensee whenever his shop/ cabin is vacated.
- Before taking over the possession of shop/cabin, the successful bidder shall have to sign/enter into a License agreement with the High Court on the non judicial stamp paper of Rs. 100/- (Rupees One Hundred only).
- 10. Successful bidder, to whom the shop/cabin is allotted, shall vacate the shop/cabin by removing all his belongings before 07.00 p.m. on 31.03.2023, failing which the High Court Administration will take over the possession of the shop/cabin. In any case, the licensee of the Shop / Cabin continues possession of Shop / Cabin even after 31.03.2023 then the due amount will be recovered by way of recovery as arrears of Land Revenue through Collector as decided by the Court.
- 11. The shop/cabin shall be used only for the purpose, for which it was auctioned and not for any other purpose.
- 12. The successful bidder is bound to maintain the shop/cabin in neat and clean condition. For this purpose, he/she will have to keep a dustbin of appropriate size for disposal of all kind of wastes.
- 13. The successful bidder shall not alter the structure of the shop/cabin in any manner and will not cause any damage to the shop/cabin.
- 14. The shop/cabin holder shall be responsible for safety of the articles kept in the shop/cabin himself/herself and the High Court, under no circumstances, shall be liable for theft, burglary, fire or any other incident, if any.
- 15. The shop/cabin may be used from 9.00 A.M. to 7.00 P.M. on all working days.
- 16. A sub-meter has been installed for the electricity being used in the shop and the allottee of the shop has to deposit the electricity charges every month, as per the meter reading, in accordance with electricity rates prevailing in Uttar Pradesh and the cabin holder will be required to deposit the fixed electricity charges calculated as per prevailing rate in the Cash Section of the High Court.
- 17. A normal electric connection has been provided in the shops. If any allottee intends to install some specific electrical appliances which requires special electric fitting, he/she may arrange the same at his/her own expenses with prior permission of the Hon'ble High Court and the same will be un-installed at the time of vacating the shop by the allottee at his/her own cost.

- 18. No person shall be allotted more than one shop/cabin.
- 19. The person who is allotted shop/cabin on license, shall use the shop/cabin himself/herself and not allow any other person to operate the shop/cabin.
- 20. The successful bidder, after getting the shop/cabin on license, can not transfer the shop/cabin to any other person.
- 21. With regard to Photocopy shop, any person to whom the shop is allotted on license, can keep a maximum of three photocopy machines in a shop.
- 22. The High Court Administration shall have the right to carry out the inspection of the premises of any shop/cabin without any prior notice during the working hours on any working day.
- 23. In case of non-compliance of any of the above-mentioned conditions by the licensee, the High Court reserves the right to revoke the license.
- 24. The Auction Committee reserves the right to reject any bid without assigning any reason. The acceptance of the final bid shall be subject to the approval of the Competent Authority.
- 25. In case of any dispute with regard to auction proceeding, the jurisdiction shall be at Lucknow.
- 26. Any other terms and conditions, if required, shall be disclosed by the Auction Committee, just before the Auction.
- 27. The number of Shops and Cabins to be auctioned may vary subject to the availability of Shops and Cabins on the date of Auction.

Sd/-

Registrar (J) (Admin.) High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow

नीलामी की शर्ते

- दुकान / केबिन, 'जहाँ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 01.09.2022 से 31.03.2023 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।
- 2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि रू० 30,000/— (रूपया तीस हजार मात्र) एवं केबिनों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि रू० 10,000/— (रूपया दस हजार मात्र) नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।
- 3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन—पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोिक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.08.2022 से 16.08.2022 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 01.08.2022 से 16.08.2022 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

उक्त आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा वहाँ से डाउन लोड भी किया जा सकता है, किन्तु डाउनलोड किये गये <u>आवेदन पत्र के साथ 'सीनियर रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का बैंक ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुक्क) दुकान / केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।</u>

4 नीलाम होने वाली दुकानों / केबिनों को दिनांक 17.08.2022 को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास / अनुमित प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा आवेदक का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों / केबिनों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.08.2022 से 16.08.2022 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

5. निम्नवत् दुकानों और केबिनों की बोली हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) निम्नलिखित होगा (दुकान अथवा केबिन की नीलामी 07 माह की अवधि दिनांक 01.09.2022 से 31.03.2023 तक के लिए होगी) और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली बोलेगा उसको वो दुकान / केबिन आवन्टित कर दी जाएगी :—

दुकान की सूची : -

कम सं0	दुकान सं0	दुकान की प्रकृति	न्यूनतम निर्धारित मूल्य (रूपये में)
1	1	ट्रैवल ऐजेन्ट	रूपया 1,45,833 / -
2	2	पैथोलॉजिकल टेस्ट हेतु नमूना संग्रह केन्द्र	रूपया 1,46,500 / -
3	4	मिल्क बूथ (Parag)	रूपया 1,95,417 / -
4	6	फ्रैश जूस व फ्रैश कटे फल	रूपया 1,37,083 / -
5	17	फोटोकॉपी	रूपया 2,62,500 / -
6	101	फोटोग्राफर	रूपया 1,47,350 / -
7	102	फोटोग्राफर	रूपया 1,34,283 / -
8	106	इण्टरनेट कैफे फॉर ई—मेल/ स्कैन्ड मेल/डिजिटल सिग्नेचर, [बिना वॉयर्ड कनेक्शन (डॉन्गल के माध्यम से/अन्य किसी वॉयरलेस माध्यम से)}	रूपया 1,45,834 / —
9	107	मेडिसिन शॉप	रूपया 1,37,084 / -

केबिन की सूची : -

कम	केबिन	केबिन की प्रकृति	न्यूनतम निर्धारित मूल्य
सं0	सं0		(रूपये में)
1	20	बैण्ड / गाउन / कोट विकेता	रूपया 1,10,833 / -
		-\	
2	21	स्टेशनरी सेलर	रूपया 41,222 / -
		-\n-1 -\ -\	,
3	22	स्टेशनरी सेलर	रूपया 45,306 / —
	404	——————————————————————————————————————	
4	121	लाई चना एवं पॉपकॉर्न	रूपया 26,833 / -
	404		,
5	124	टाईपिस्ट	रूपया 44,333 / -

6. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान/केबिन को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा ऐसे बोलीदाता को बोली से सम्बन्धित उपरोक्त शर्तों का पालन करना होगा। यदि दूसरे नम्बर का बोलीदाता भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित दुकान/केबिन की नीलामी नये सिरे से की जाएगी।

- 7. सफल व्यक्ति को शेष 75 प्रतिशत धनराशि 'सीनियर रजिस्ट्रॉर, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके पहले से जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।
- 8. नीलामी में सफल व्यक्ति को अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ रू० 25,000/— (पच्चीस हजार मात्र) दुकान के लिए तथा रू० 10,000/— (दस हजार मात्र) केबिन के लिए 'इन्डेमिनटी धनराशि' के रूप में नीलामी के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2022—2023 की समाप्ति पर विद्युत बिलों के भुगतान एवं अन्य देयकों में समायोजित कर ली जाएगी। कोई देय शेष न रहने की स्थिति में उक्त 'इन्डेमिनटी धनराशि' लाईसेंस धारक को उसके दुकान / केबिन को खाली करने पर वापस कर दी जाएगी।
- 9. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान / केबिन लेने से पूर्व रूपये 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर माननीय उच्च न्यायालय के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 10. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2023 तक दुकान/केबिन से अपना सामान हटा कर सायं 07.00 बजे तक या उससे पहले दुकान/केबिन खाली कर देगा, अन्यथा कोर्ट द्वारा दुकान/केबिन का कब्जा ले लिया जायेगा। इसके उपरान्त भी, किसी भी स्थिति में, दुकान/केबिन का कब्जा लाईसेंस धारक द्वारा न छोडे जाने पर शेष देय धनराशि कलेक्टर के माध्यम से भू—राजस्व की भाँति माननीय न्यायालय के निर्देषानुसार वसूल की जाएगी।

- 11. जिस उद्देश्य हेतु दुकान/केबिन की नीलामी की जायेगी, वह दुकान/केबिन उसी उद्देश्य हेत् प्रयोग की जायेगी।
- 12. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन में उचित आकार का कूड़ेदान रखेगा तथा कूड़ा—कचरा उसी कूड़ेदान मे डालेगा।
- 13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन की भौतिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान/केबिन को कोई नुकसान पहुंचायेगा।
- 14. दुकान / केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लाईसेंस धारक की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।
- 15. दुकान / केबिन का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।
- 16. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब—मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल प्रति माह उ० प्र० में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा। केबिन के आवन्टी को उच्च न्यायालय के कैश अनुभाग में प्रचलित दर के अनुसार निर्धारित बिजली शुल्क जमा करना होगा।
- 17. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह मा0 उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमित से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षिति नहीं कारित की जायेगी।
- 18. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान / केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी।
- 19. जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह दुकान/केबिन संचालन हेतु नहीं देगा।

- 20. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान/केबिन प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान/केबिन हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
- 21. फोटोकापी की दुकान/केबिन के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान/केबिन में अधिकतम <u>तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता</u> है।
- 22. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्याविध के दौरान किसी भी दुकान / केबिन के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 23. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 24. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे तथा अन्तिम बोली सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
- 25. नीलामी प्रक्रिया के विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
- 26. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर दी जायेगी।
- 27. नीलामी की जाने वाली दुकानों और केबिनों की संख्या नीलामी वाले दिन दुकानों और केबिनों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।

Sd/-निबन्धक (न्या०) (प्रशासन) इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ